103

कार्यालय निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना।

आदेश

02/नि॰ स्था॰ वेतन निर्धारण (11) – 02/17

वित्त विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या 3ए–2–वे॰पु॰–09/2016 – 3590 दिनांक 24.05.2017 की कंडिका–2 तथा अनुसूची–I, II एवं III, वित्त विभागीय पत्रांक 3651 दिनांक 25.05.2017 तथा पत्रांक 3686 दिनांक 26.05.2017 में निहित प्रावधानों के आलोक में पुनरीक्षित वेतन संरचना के आधार पर कार्यालय–निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना में कार्यरत पदाधिकारियों/कर्मचारियों का दिनांक 01.01.2016/विकल्प के चयन की तिथि से संलग्न विवरणी (Annexure A, B & C) के अनुसार औपबंधिक रूप से वेतन निर्धारण एवं कंडिका–8 के आलोक में दिनांक 01.01.2017/01.07.2017 की वार्षिक वेतनवृद्धि की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2॰ उक्त वित्त विभागीय संकल्प की कंडिका–2 के अनुसार दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षित वेतन निर्धारण वैचारिक रूप से तथा दिनांक 01.04.2017 से वास्तविक आर्थिक लाभ देय होगा।

3॰ उक्त वित्त विभागीय संकल्प की कंडिका–2 के उप कंडिका–(ii) एवं (iii) में निहित प्रावधानों के तहत् मँहगाई भत्ता 4 प्रतिशत की दर से दिनांक 01.04.2017 से देय होगा तथा शेष सभी अन्य भत्ते वेतन पुनरीक्षण से पहले वाले स्तर पर भुगतान किया जाना जारी रहेगा।

4॰ वित्त विभाग के संकल्प संख्या 3590 दिनांक 24.05.2017 में निहित प्रावधानों के अनुसार दिनांक 01.04.2017 से बकाया राशि का भुगतान किया जाएगा।

5॰ वित्त विभाग के संकल्प संख्या 3590 दिनांक 24.05.2017 की कंडिका–8 एवं 9 में निहित प्रावधान के अनुसार वार्षिक वेतनवृद्धि की देय तिथि एवं अन्य शर्त्त के अनुसार निर्धारित है।

6॰ वित्त विभाग द्वारा पुनरीक्षित वेतन निर्धारण के विहित प्रपत्र में सत्यापन के क्रम में अथवा यदि भविष्य में वेतन निर्धारण में किसी प्रकार की त्रुटि दृष्टिगोचर होती है, तो अधिक/कम भुगतान की गई राशि की वसूली/प्रतिपूर्त्ति संबंधित पदाधिकारी/कर्मचारी से नियमानुसार उसका सामंजन कर लिया जाएगा।

7॰ उक्त आदेश में निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

24/7/17

(विनोद)
सहायक निबंधक,
सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना।

ज्ञापांक 5824 /पटना, दिनांक 24.07.17
02/नि॰ स्था॰ वेतन निर्धारण (11) – 02/17

प्रतिलिपि :– 1. महालेखाकार, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना/लेखा एवं बजट शाखा, प्रशाखा–1 नि॰/विपत्र लिपिक को (दो प्रति में)/सभी सम्बन्धित पदाधिकारी/कर्मियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24/7/17

सहायक निबंधक,
सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना।

Node.5\E:\AKS Files\7th Pay Fixation.doc\Ashok.